

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

दॉ.पुनरीक्षण क.-31/17

संस्थित दिनांक 11.04.17

मनोज बाथम पुत्र श्री कमलसिंह बाथम
उम्र 25 वर्ष पेशा दुकानदारी निवासी किला
गेट के पास स्योडा तहसील स्योडा जिला
दतिया म0प्र0

.... पुनरीक्षणकर्ता

वि रू द्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड

..... प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री बी.एस बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।

// आदेश //

(आज दिनांक 26/04/17 को पारित)

- यह पुनरीक्षण याचिका धारा-397 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के बण्डल प्रकरण क्रमांक निल/2017 उन्वान मनोज बाथम बनाम राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड अपराध क्रमांक 40/17 में पारित आदेश दिनांक 04.04.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आवेदक मनोज बाथम का आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं0प्र0सं0 का, जो कि उक्त अपराध में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.-32/सी-1681 को सुपुर्दगी पर दिए जाने के लिए था, को निरस्त कर दिया है।
- मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त शिवराज के द्वारा सहअभियुक्तगण निसार, नीरज एवं मोनू के साथ मिलकर अपनी भाभी लाली की हत्या करने का षडयंत्र किया

गया। जिसके तहत चारों एक मारुती वेन क्रमांक एम.पी.-07/सी-1681 को लेकर आए तथा लाली को शिवराज ने फोन करके बुलाया एवं ग्वालियर जाने के बहाने उक्त मारुती वेन में बिठा दिया। दिनांक 15 एवं 16.02.17 की रात्रि 02:30-03:00 बजे के लगभग उक्त वेन को चमेहडी के पहले एकांत निर्जन रोड पर नीरज ने टक्कर मार दी और निसार ड्रायविंग सीट पर बैठ गया। शिवराज और मोनू ने लाली को पकड़ लिया तथा नीरज ने मारुती वेन से लाली को कुचल दिया। इस प्रकार चारों लोगों ने लाली की हत्या कर दी। जिसके संबंध में अज्ञात महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी होने की सूचना दिनांक 16.02.17 को पुलिस थाना मौ को प्राप्त हुई। जिस पर से देहाती नालशी लिखी गई और उसके आधार पर अपराध क्रमांक 40/17 अंतर्गत धारा-302, 201 एवं 34 भा.द. सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते हुए थाना मौ में कायमी करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

3. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं.प्र.सं. जप्तशुदा मारुती वेन को सुपुर्दगी में लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 04.03.17 को बल न देने के कारण निरस्त किया गया। दिनांक 22.03.17 को पुनः द्वितीय आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया, जिसका निराकरण दिनांक 04.04.17 को आलोच्य आदेश के माध्यम से किया गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेश के माध्यम से यह मान्य किया कि उक्त वाहन हत्या कारित करने वाली वस्तु है और प्रकरण में अन्वेषण लंबित है, जिसके संबंध में रक्त लगा भाग एफ.एस.एल.को जांच हेतु भेजा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, अंतिम प्रतिवेदन के पूर्व और एफ.एस.एल की जांच के दौरान वाहन की विवेचना में आवश्यकता पड़ने की प्रबल संभावना है। यह मान्य करते हुए उक्त आवेदन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है।

4. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अपनी पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि उक्त वाहन मारुती वेन क्रमांक एम.पी.-32/सी.-1681 का वह पंजीकृत स्वामी व आधिपत्यधारी है। अभियुक्तगण उससे मारुती वेन

किराए से ले गए थे। थाना मौ में उक्त वाहन रखे रहने तथा देखरेख के अभाव में बन्द रहने से वाहन के कलपुर्जे खराब हो रहे हैं। वाहन न चलने से पुनरीक्षणकर्ता को आर्थिक हानि उठानी पड रही है। वाहन की अन्वेषण हेतु आवश्यकता नहीं है क्योंकि उससे संबंधित सैंपल जांच हेतु एफ.एस.एल को भेजा जा चुका है। इस आधार पर कि अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है तथा एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वाहन सुपुर्दगी पर नहीं दिया जा सकता है, आदेश निहायत गलत, अनुचित एवं अवैधानिक है। न्याय दृ० जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एवं अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य 2010(3) सी.सी.एस.सी. 1258(एस.सी.) पर निर्भरता व्यक्त करते हुए व्यक्त किया है खुले स्थान पर वाहन रखे जाने पर, उनकी शीघ्रता से क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। थाने पर कई मूल्यवान एवं कीमती कलपुर्जे या तो चोरी हो जाते हैं या निकाल लिए जाते हैं। जिससे वह सड़क पर चलाए जाने अयोग्य हो जाता है। उक्त आधारों पर पुनरीक्षण स्वीकार कर आलोच्य आदेश अपास्त किया जाकर उक्त वाहन मारुती वेन सुपुर्दगी पर दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल ने व्यक्त किया है कि मामला अभी अन्वेषण में है तथा जप्तशुदा वेन की अन्वेषण में आवश्यकता हो सकती है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत एवं उचित आदेश पारित किया गया है। पुनरीक्षण निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. पुनरीक्षण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार हैं:-

क्या विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.17 अशुद्ध, अवैध एवं अनौचित्यपूर्ण है? तथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?

सकारण निष्कर्ष

7. इस पुनरीक्षण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। प्रकरण में संलग्न संबंधित बण्डल प्रकरण एवं पुलिस थाना मौ के अपराध क्रमांक

40/17 की केस डायरी एवं कैफियत का परिशीलन किया गया।

8. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से न्याय दृ0 जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एवं अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य के तथ्य इस मामले से भिन्न है क्योंकि इसमें जप्तशुदा वाहन का अपराध में उपयोग किया गया है तथा अपराध किए जाने के पश्चात वाहन के भागों पर मृतिका लाली के रक्त एवं मांस के टुकड़े लगे हुए पाए गए हैं। कैफियत में उक्त मारुती वेन के रक्त लगे भागों को एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजा जाना बताया है। मामला अभी अन्वेषण में है। अन्वेषण के इस स्तर पर यदि जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो निश्चित है कि पुलिस द्वारा किया जाने वाला अन्वेषण प्रभावित रहेगा। जिसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। अन्वेषण में उक्त वाहन के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए जाने की संभावना भी हो सकती है। अतः ऐसी स्थिति में जिस वाहन का उपयोग करते हुए हत्या कारित की गई है, तथा वाहन के निचले भाग में काफी खून और मांस जगह-जगह लगा हुआ है, को अन्वेषण के इस स्तर पर सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। पुलिस कैफियत में भी यह आपत्ति ली गई है कि यदि वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो वाहन मालिक, वाहन के साथ साक्ष्य को भी खुरदबुरद करेगा। जिससे प्रकरण पर विपरीत असर पड़ेगा।
9. अतः ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण के लंबित रहने के दौरान एवं एफ.एस.एल. जांच के दौरान विवेचना में वाहन की आवश्यकता पडने की संभावना होने को देखते हुए, पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के द्वितीय आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं.प्र.सं. को निरस्त किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। इस कारण उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 04.04.17 हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। अतः संबंधित विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश दिनांक 04.04.17 की पुष्टि की जाती है।
10. यह पुनरीक्षण सारहीन होने से निरस्त की जाती है।
11. इस आदेश की प्रति के साथ बण्डल अभिलेख संबंधित न्यायालय

की ओर भेजा जावे तथा आदेश की प्रति के साथ पुलिस थाना मौ की
केस डायरी वापस भेजी जावे।

आदेश दिनांकित,हस्ताक्षरित
कर पारित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)